संख्या-108/2025/875/35-4-2025/35-4099/381/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 15 अक्टूबर, 2025

विषय:- जनपद झाँसी में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत शासनादेश संख्या- 473/2021/2378/35-4-2021 दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत 19 कार्यों मे से 02 कार्यों **(क्रमांक 9 व 13 पर अंकित, 1-ग्राम एवनी में मैन चौराहा गोरेलाल धोबी के मकान से भानूप्रताप बी0डी0सी0 के मकान तक एवं मेन सीसी हरिजन बस्ती से पहाड पर माता मन्दिर तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण, 2-ग्राम सिमरधा में प्रेमचन्द के मकान से चेतराम के मकान तक एवं वालस्वसरूपे सोनी के मकान से सुनील गुप्ता के मकान कर सी0सी0 कार्य)** की अनुमोदित लागत रूपये 39.86 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किशत के रूप में कुल धनराशि रु0 30.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

2- आपके पत्र संख्या- 60/डी0एस0टी0ओ0/त्वआ0वि0पत्रा0/2022-23 गरौठा/मांग/2024-25 दिनांक 17 अप्रैल, 2025 एवं पत्रांक-356/डी0एस0टी0ओ0/त्वआ0वि0पत्रा0/2022-23 गरौठा/मांग/2024-25 दिनांक 09 अगस्त, 2024 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय होना अंकित करते हुए एवं अनुबंध के आधार पर बचत की धनराशि का उल्लेख करते हुये अवशेष धनराशि की मांग की है।

3- अतः एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि व बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष **रू0 8.49 लाख (रूपये आठ लाख उन्चास हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपए लाख में)

क्रमांक	कार्य	अनुमोदित लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की लागत	कार्य पूर्ण के पश्चात शुद्ध बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	ग्राम एवनी में मैन चौराहा गोरेलाल धोबी के मकान से भानूप्रताप बी0डी0सी0 के मकान तक एवं मेन सीसी हरिजन बस्ती से पहाड पर माता मन्दिर तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण	18.83	0.92	0.92	17.91	15.00	2.91
2	ग्राम सिमरधा में प्रेमचन्द के मकान से चेतराम के मकान तक एवं वालस्वसरूपे सोनी के मकान से सुनील गुप्ता के मकान कर सी0सी0 कार्य	21.03	0.45	0.45	20.58	15.00	5.58
	योग-	39.86	1.37	1.37	38.49	30	8.49

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक-27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू0 8.49 लाख (रूपये आठ लाख उन्चास हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्ष-505404337030303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक- 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-108/2025/875(1)/35-4-2025/35-4099/381/2021तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, झाँसी।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झाँसी ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झाँसी ।
13. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, झाँसी ।
14. नोडेल अधिकारी, बजट आबंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in